संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System)

संसदीय सरकार :—

* परिचय
* विशेषताएं
* संसदीय सरकार के गुण
* संसदीय सरकार के दोष
* भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में अंतर

परिचय: भारत का संविधान केंद्र और राज्य में सरकार के संसदीय स्वरूप व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था की और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में उपबंध करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसदीय सरकार को 'कैबिनेट सरकार' या 'उत्तरदायी सरकार' भी कहा जाता है तथा यह सरकार ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है इनका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहा जाता है। भारत में भी संसदीय सरकार [illegible] अमल करता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय सरकार पूर्ण भाँति देश शासन करते हैं।

संसदीय सरकार की विशेषताएं :

(1) **वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका :**

संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं - नाममात्र की और वास्तविक। राज्य का प्रमुख, नाममात्र की कार्यपालिका और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में रानी और भारत में राष्ट्रपति नाममात्र के ही प्रधान होते हैं। वे मंत्रिमंडल निर्णयों के अनुसार ही कार्य करते हैं। भारत में प्रत्येक कार्यों की श्रेय अनुग्रह कैबिनेट को ही मिलती है।

Oxford

Scanned with CamScanner

(2) **कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध :**

मन्त्रिगण व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका वाद-विवाद, प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि द्वारा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और हटा भी सकती है। आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका को भंग करने की सलाह भी दे सकती है।

(3) **कार्यपालिका की अवधि अनिश्चित :**

इस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रह सकती है जब तक कि निम्न सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

(4) **सामूहिक उत्तरदायित्व :**

इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही उत्तरदायी नहीं होता, वरन् समस्त मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। कारण यह है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। संक्षेप में, मंत्रिगण एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं, वे सब एक के लिए हैं, और एक सबके लिए।

(5) **राजनीतिक समजातीयता (एकरूपता)**

इसके अंतर्गत सभी मंत्री एक ही राजनीतिक विचार और सिद्धांत के होते हैं। इसलिए उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री न्यूनतम सहमति के प्रति होते हैं।

(6) **कैबिनेट की एकता :**

कैबिनेट एक इकाई है, इसलिए कैबिनेट में जो निर्णय स्वीकृत हो होते हैं उन्हें अल्पमत को स्वीकार करना पड़ता है या उन्हें मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कैबिनेट में रहते हुए कोई मंत्री अपने मतभेद को संसद में या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता। सभी मंत्री एक स्वर में बोलते हैं।

(7) **प्रधानमंत्री का नेतृत्व :**

संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता तथा प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का न केवल निर्माण करता है वरन् वह उसके जीवन-मृत्यु का केन्द्र बिन्दु भी है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उससे त्यागपत्र मांग सकता है।

(8) और

लोकप्रियता : मंत्रिपरिषद की लोकप्रियता बनी रहती है। इनकी लोकप्रियता की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। मंत्रिगण कैबिनेट के निर्णयों को संसद में प्रभावी ... कर सकते। मंत्री उचित समय पर ही कैबिनेट की निर्णयों को जनता तक पहुंचाते हैं।

संसदीय सरकार के गुण

सरकार की संसदीय सरकार के निम्नलिखित गुण हैं :-

(1) **कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य :**

व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में मतभेद रहता है संघर्ष नहीं। दोनों संस्थाएं एक दूसरे की आवश्यकता को समझती हैं। मंत्री व्यवस्थापिका में बैठते हैं और अपनी इच्छानुसार विधेयक पारित करते हैं और संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। ब्रिटेन में संसद व कैबिनेट के बीच संघर्ष देखने को नहीं मिलता, जबकि USA में कांग्रेस और राष्ट्रपति में संघर्ष स्थिति पैदा हो जाती है।

(2) **शीघ्र निर्णय :**

क्योंकि शक्तियां कैबिनेट में निहित होती हैं जिसका संसद में बहुमत होता है। अतः शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम है। दल का बहुमत होने के कारण वह आवश्यक कानून बना सकती है।

(3) **कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती :**

संसदीय सरकार का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में सरकार उत्तरदायी सरकार है। जैसा कि संसद मंत्रिपरिषद से प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि द्वारा उसे नियंत्रित करती है। यह वास्तविक प्रजातंत्र शासन के अधिक निकट है।

(4) **उत्तरदायित्व का निर्धारण सरलतापूर्वक :**

संसदीय शासन में उत्तरदायित्व का निर्धारण भी आसानी से हो जाता है। क्योंकि विधि निर्माण व प्रशासन का कार्य एक ही दल के हाथों में रहता है।

(5) **उच्चकोटि का शासकवर्ग :**

संसदीय सरकार की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथों में रहती है। मंत्रियों को अपनी योग्यता दिखाने का भी अवसर मिलता है और स्वयं लोकप्रिय होने

Scanned with CamScanner

लिए जनहित में कार्य करते हैं। अध्यक्षीय शासन में मंत्री राष्ट्रपति के केवल सलाहकार मात्र होते हैं।

(5) **वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था**

संसदीय शासन का एक गुण यह भी है कि यदि किसी कारण वश मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तो तुरंत ही विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। अर्थात् शासन में कोई गतिरोध पैदा नहीं होती है। सरकार का परिवर्तन बड़ी सहजता से स्वाभाविक ढंग से हो जाता है।

संसदीय शासन के दोष

उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था निम्न दोषों से युक्त है :-

(1) **अस्थिर सरकार** - संसदीय व्यवस्था, स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसमें कोई आश्वासन नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरी करेगी। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनैतिक दल बदल को सरकार गिरा सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वी.पी. सिंह, गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है।

(2) **नीतियों की निरन्तरता का अभाव** - संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं की जाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्ताधारी दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस की नीतियों को पलट दिया था।

(3) **मंत्रिमंडल की निरंकुशता** -

जब सत्ताधारी पार्टी को जब संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और लोगों पर मनमानी करने लगती है और तानाशाही पर उतर आती है। इन्दिरा गांधी का शासन भी इसका उदाहरण है।

(4) **शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध** -

संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बेजहॉट ने उल्लेख किया है - कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है जो दोनों को जोड़ने के लिए बकल है। अतः ये सरकार में यह व्यवस्था

Scanned with CamScanner

मंत्रियों के प्रशासन करने वाले विभाग के प्रमुख (राजा) हैं। भारत में यह शक्तियों का मेल है।

5) अस्थायी व्यक्तियों तथा संसद का संबंध:

भारतीय व्यवस्था संवैधानिक ...

संवैधानिक नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। इसकी पार्टी केंद्र व राज्यों तक प्रतिनिधित्व रखती है और पार्टी नेतृत्व प्रतिभा तक निर्धारित नहीं है। इसके परन्तु मंत्री अधिकांश समय अपने विभागीय कार्यों, वैधानिक और दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं।

भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में अन्तर

भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था निश्चित रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है लेकिन यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रहा। अतः अन्तर स्पष्ट है।

* ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में, भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया राजा या रानी आनुवांशिक है।
* ब्रिटिश व्यवस्था संसद की सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियाँ परिसीमित हैं। क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं।
* ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।
* ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किये जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री बनाया जा सकता है।
* ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता।

Scanned with CamScanner

* ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में 'छाया कैबिनेट' एक अनोखी योजना है। यहाँ विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने कार्यक्रमों को भावी मंत्रालय बनाकर तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है।

निष्कर्ष: जहाँ तक संसदीय शासन के गुण-दोष का प्रश्न है तो संसदीय शासन सबसे अच्छा शासन है। क्योंकि इसमें [illegible] आदर्श शासन है, व्यवस्था के उत्तरदायी अंगों के बीच संघर्ष की संभावना नहीं रहती है, अधिक योग्य व प्रभावशाली लोगों के हाथों में देश का नेतृत्व रहता है। शांति काल में यह सरकार बहुत ही अच्छी होती है। संसदीय शासन लोकतंत्र के भी अधिक निकट शासन है।

—— x ——

Girijesh Singh, Asst. Professor
Dept: Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class - Deg II (H)
Topics - Parliamentary Government
Date: 21/04/2020

Scanned with CamScanner